रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3- Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 338] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 1983/भाद्र 22, 1905
No. 338] NEW DELHI, TUESDAY, SEPT. 13, 1983/BHADRA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 263/83-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 13 सितम्बर 1983

सा.का.नि. 701(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना सं 206-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, —

(1) मद् सं. (2) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) रक्षा के उपयोग के लिए वायुयानों के जिग, औजार और ग्राउंड उपस्कर ;" ;

(2) मद सं. (3) और (3क) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 355/64/83-सी. शु. 1]
एन. शशिधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

NO. 263/83-CUSTOMS

New Delhi, the 13th September, 1983

G.S.R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking) No. 206-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification,

(i) for item No. (2) and the entry relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(2) Jigs, tools and ground handling equipments of aircrafts for defence use;";

(ii) item Nos. (3) and (3A) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 355/64/83-Cus.I]
N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983